

## आईजी ने पुलिसकर्मियों को दी हिदायत, समय रहते सुधर जाओ

15 दिन बाद अपने हथ्र के खुद होंगे जवाबदार, आईजी ने ऑपरेशन प्रहार 2.0 के दौरान लगाई क्लास

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, नशे के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन प्रहार 2.0 के दौरान रीवा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने बैठक में पुलिसकर्मियों की क्लास लगाई। कृष्णा राजकपुर आडिटोरियम में आईजी ने नशीली सिरफ के अवैध कारोबार में पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों की संलिप्तता को लेकर उन्हें मंच से कड़ी चेतावनी दी है।

आईजी ने कहा- हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तालाब को गंदा करने का काम करते हैं। पिछले चार महीनों में हमने ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली है। मैं नहीं चाहता कि मैं उस सूची में आगे बढ़ूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूँ, जिससे आपको



शर्मिदा होना पड़े। आईजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, वो समय रहते सुधर जाएं नहीं तो इस अभियान के शुरू होने

के 15 दिन बाद वो अपने हथ्र के जवाबदार खुद होंगे। ऐसे लोगों का जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख होगा कि उन्हें लज्जा का हार पहनकर समाज के

पास जाना पड़ेगा। बैठक में आईजी ने कहा कि समाज को नशे की बुराई से मुक्त कराने के उद्देश्य से रीवा पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार 2.0 अभियान

प्रभावी तरीके से चलाया जायेगा। से नो टू ड्रग्स के संदेश के साथ युवाओं को नशे से दूर रखने और रीवा जिले को नशामुक्त बनाने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है।

अभियान के तहत रीवा पुलिस ने कोरेक्स, गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर और अन्य नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नशे के सौदागरों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और कई आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। यह कार्रवाई केवल नशा बेचने वालों तक सीमित नहीं रहेगी। बल्कि जो भी जो नशे के सौदागरों से लेने-देने करते हैं या किसी भी रूप में उन्हें बढ़ावा देते हैं। उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जावेगी। पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने

स्पष्ट शब्दों में कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति- चाहे वह आम नागरिक हो या पुलिस विभाग का कर्मचारी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की वर्दी पहनने वाले को आदर्श बनना चाहिए, न कि अपराधियों का संरक्षण करने वाला। पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने यह भी कहा कि ऑपरेशन प्रहार 2.0 सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालना और रीवा को नशामुक्त जिला बनाना है। बैठक को उप महानिरीक्षक हेमंत सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। बैठक में एसडीओपी सहित जिले भर के थाना प्रभारी मौजूद रहे।



## एक दर्जन से अधिक मेडिकल दुकानों को किया गया सीज

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, शहर में दवाई की दुकानों की जांच एवं निरीक्षण की कार्यवाही सतत रूप से जारी है। शासन के दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले एक दर्जन से अधिक मेडिकल दुकानों को निरीक्षण के बाद सीज किया गया। कई दुकानदारों ने अपने मेडिकल स्टोर खुद ही बंद कर दिये और प्रशासन की कार्यवाही का विरोध जताया।

कलेक्टर द्वारा गठित दो विभिन्न निरीक्षण दलों ने सिरमौर चौराहा क्षेत्र एवं अस्पताल चौराहा व संजय गांधी अस्पताल के सामने के क्षेत्र में संचालित मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में फार्मासिस्ट की उपस्थिति न होने, एक्सपायरी दवाइयों के पाये

जाने तथा मेडिकल दुकान का लायसेंस उपलब्ध न कराने पर एक दर्जन से अधिक दुकानों को सीज कर दिया गया। निरीक्षण दल ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर अनुराग तिवारी, तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों ने नाराजगी जताई और कहा कि एक आदमी की गलती की सजा सभी को न दें। कार्यवाही के विरोध में आधा सैकड़ से अधिक मेडिकल स्टोर संचालक नारेबाजी करते हुए कलेक्टर पहुंचे। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि डाक्टरों द्वारा लिखी जा रही दवाईयों ही हम देते हैं, डाक्टरों की भी जांच होनी चाहिए।

## मेडिकल स्टोर संचालकों ने कार्यवाही का जताया विरोध

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रशासनिक जांच को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद रीवा जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान छेड़ दिया

है। लेकिन प्रशासन की इस एकरतफा कार्रवाई से मेडिकल संचालक भड़क गए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में संचालकों ने एकजुट होकर अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए हैं, जिससे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संचालकों का स्पष्ट कहना है कि

प्रशासन केवल उन्हें निशाना बना रहा है, जबकि समस्या की असली जड़ कहीं और है, जिसे छुआ तक नहीं जा रहा। उनका सवाल है कि क्या प्रशासन की यह सख्ती सिर्फ छोटे व्यापारियों और दवा विक्रेताओं के लिए ही सीमित है वे सीधे तौर पर डॉक्टरों की बेलगाम कार्यप्रणाली पर उंगली उठा रहे हैं। जिन पर कोई भी कार्रवाई करने से प्रशासन के

हाथ कांप रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि छापामार कार्रवाई इन डॉक्टरों के क्लीनिकों और निजी अस्पतालों पर क्यों नहीं हो रही? यदि व्यवस्था सुधारनी है, तो जांच निष्पक्ष और चौतरफा होनी चाहिए। सिर्फ मेडिकल स्टोरों पर शिकंजा कसना और डॉक्टरों की महंगी व संदेहास्पद प्रैक्टिस को नजरअंदाज करना गलत है।

## पीवीसी पाइप में विस्फोटक भरकर ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे कार्बाइड गन पर प्रतिबंध

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले में लोहा स्टील एवं पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध पटाखे ( कार्बाइड गन ) का निर्माण भण्डारण एवं क्रय विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है।

उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत तटस्थता कानून का उपयोग करते हुए लोकहित में आदेश जारी कर जिले में इसकी विक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों सहित

संबंधित विभाग को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। जिला दण्डाधिकारी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड मजिस्ट्रेट हुजूर ने व्यावसायिक संस्थानों, निर्माण क्षेत्र व भण्डारण क्षेत्र के भ्रमण के लिए जांच हेतु समिति का गठन किया है। समिति में तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षक, संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी/ वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया है। यह दल 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अभियान चलाकर कार्बाइड गन के निर्माण/भण्डारण एवं विक्रय आदि का निरीक्षण करेंगे।

## बाबा घाट पर छठ की बिखरी छटा, व्रतधारी महिलाओं ने दिया अर्घ्य

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, शहर के बीहर नदी के बाबा घाट में डाला छठ पूजा के अवसर पर खरना के दिन महिलाओं ने पवित्र बीहर नदी में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया का पूजा अर्चना कर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगा।

छठ पूजा के प्रति श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बाबा घाट पर शाम चार बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। व्रतधारियों ने नदी में स्नान कर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर



विधि विधान से पूजन अर्चना किया। मंगलवार को व्रतधारी उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगे। कार्तिक मास

थी। रविवार को खरना मनाया गया। सोमवार को महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। व्रती महिलाएं व उनके परिवारीजनों ने मिष्ठान, फल, मेवा व पूजन सामग्रियों के साथ पवित्र जल में खड़े होकर सूर्य देव व छठी मैया का पूजा की। श्रद्धालुओं ने पूजा के दौरान अपने व अपने परिवार के लिए निरोगी काया, अखंड सुहाग, संतान प्राप्ति व सुख-समृद्धि आदि के लिए आशीर्वाद मांगा। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाएगा।

## दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन के लिए लगेगा शिविर

मऊगंज, 27 अक्टूबर, दिव्यांग बच्चों को जिला मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु दिव्यांगता चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जायेगा। ग्राम पंचायत भवन पिपराही में 31 अक्टूबर को तथा पंचायत भवन खटखरी में 3 नवम्बर को दिव्यांगता चिन्हांकन शिविर आयोजित किये गये हैं। शिविर में पहुंचकर लाभ लेने की अपील की गई है।

## समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित आवेदन निराकृत करें: पाल

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा है कि नवम्बर माह के लिए समाधान ऑनलाइन के 10 एजेण्डा बिन्दु जारी कर दिए गए हैं। इन एजेण्डा बिन्दुओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से राशि के भुगतान, ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली के तार टूटने, शॉर्ट सर्किट तथा अन्य समस्याओं के प्रकरण एवं नगरीय निकायों में सड़कों के सुधार से जुड़े प्रकरणों का समीक्षा की जाएगी। समाधान ऑनलाइन में प्राकृतिक प्रकोप से फसलों तथा पशुओं की हानि के राहत प्रकरणों, खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कार्यवाही से जुड़े प्रकरणों तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा

रोगियों के उपचार से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि समाधान ऑनलाइन में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पशु चिकित्सकों की अनुपस्थिति एवं डेयरी से कार्यालय पहुंचने संबंधी शिकायतों, परिवहन विभाग के मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम से संबंधित प्रकरणों एवं वन विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों का समीक्षा की जाएगी।

## गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों का किया गया चालान

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

खुले में कचरा फेंकने वाले, डस्टबिन न रखने वाले तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के विरुद्ध नगर निगम की टीम द्वारा सख्त कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में नगर निगम उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी की उपस्थिति में निगम क्षेत्र अंतर्गत सिरमौर चौराहा में



स्थित कंपोजिट मट्टि दुकान के बाहर दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से दुकान के बाहर बैठा कर शराब पिलाने एवं परिसर में गंदगी

दुकानदारों को समझाया शीर्षक दी गई कि पुनरावृत्ति पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार एस.एफ. चौराहा स्थित कंपोजिट मट्टि दुकान के बाहर भी दुकानदारों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते एवं दुकान के बाहर गंदगी फैलाते हुए पाया गया जिस पर नगर निगम की टीम द्वारा चलानी कार्यवाही करते हुए रु. 3000 का चालान किया गया। उक्त कार्यवाही में स्वच्छता निरीक्षक, आईईसी टीम एवं अतिरिक्त दल मौजूद रहे।

## जिले में 2239 टन यूरिया और 1068 टन डीएपी खाद है उपलब्ध

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, आगामी फसल की बुवाई के लिए किसानों को समुचित खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सहकारी समितियों डबल लॉक सेंटर तथा निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को खाद का वितरण किया जा रहा है।

रीवा जिले में 27 अक्टूबर की स्थिति में कुल 2239.23 टन यूरिया तथा 1068.25 टन डीएपी खाद उपलब्ध हैं। इसके साथ-साथ 1619 टन एनपीके, 24 टन म्यूरेट

ऑफ पोटाश तथा 3154.8 टन सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध हैं। खाद की रैक नियमित अंतराल से प्राप्त हो रही है। किसानों को सहकारी समितियों, डबल लॉक सेंटर तथा निजी विक्रेताओं के माध्यम से लगातार खाद का वितरण किया जा रहा है। अब तक किसानों को कुल 3212.49 टन यूरिया, 1791.4 टन डीएपी, 1235.7 टन एनपीके, 3.77 टन म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 328.5 टन सिंगल सुपर फास्फेट का वितरण किया जा चुका है।

## विद्यार्थियों को स्पीड पोस्ट पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, डाक विभाग स्पीड पोस्ट पर विद्यार्थियों को 10 फीसदी की छूट देगा। इसके लिए स्टूडेंट को स्पीड पोस्ट करने के दौरान अपना आईडी प्रस्तुत करना होगा और लिफाफे पर विद्यार्थी डाक लिखना होगा।

इस आधार पर यह छूट मिलेगी। रीवा डाक संभाग के

अधीक्षक आर.के. तिवारी ने बताया कि डाक विभाग एक नवम्बर से प्रीमियम सेवा स्पीड पोस्ट लागू करने जा रहा है। इस सेवा में विद्यार्थियों को विभाग स्पीड पोस्ट करने पर 10 फीसदी छूट देगा।

छात्रों और युवाओं द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार या निजी शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र तथा राज्य सरकार की भर्ती एजेंसियों

को भेजे जाने वाले आवेदन और अन्य पत्र-व्यवहार के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं का उपयोग करने पर यह छूट दी जाएगी। विभाग स्पीड पोस्ट का शुल्क वजन और दूरी के आधार पर तय करता है। स्पीड पोस्ट का 50 ग्राम से लेकर 500 ग्राम वजन तक का अलग-अलग शुल्क है। इस शुल्क पर विद्यार्थियों को 10 फीसदी छूट मिलेगी। अधीक्षक ने बताया कि

स्पीड पोस्ट डाक पर प्रेषक के रूप में विद्यार्थी का नाम लिखा होना जरूरी है। साथ ही प्रेषक का नाम और छात्र आईडी पर दिया गया नाम एक होना चाहिए। प्राप्तकर्ता कोई मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या भर्ती एजेंसियों (जैसे यूपीएससी, राज्य पीएससी, राज्य अधीनस्थ बोर्ड, एनटीए या अन्य समकक्ष भर्ती एजेंसियां) होना जरूरी है।

## संक्षिप्त



## विधायक ने की लोगों से मुलाकात, सुनी समस्या

रीवा, विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज ने ललवारी, कलवारी, कटरा, सर्रा, कांकर, बरहट एवं सहलोला समेत क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समाधान का आश्वासन दिया। विधायक तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जन-केंद्रित योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले ये मेरा प्रयास है। मेरी कोशिश हमेशा से जमीनी स्तर पर जनता से सीधे संवाद की रही है। इस दौरान विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने केंद्र व प्रदेश की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और जनता के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की जानकारी भी जनता से साझा की। साथ ही कहा कि मेरा पूरी कोशिश है कि जनता को किसी भी परेशानी का सामना न करा जाए, जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निवारण किया जाए।

## संभागीय टीएल बैठक आज

रीवा, रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जायवट 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से कमिश्नर कार्यालय में टीएल पत्रों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण, ई आफिस, संभागीय समीक्षा बैठक के निर्देशों में की गई कार्यवाही तथा कृषि आदान एवं धान उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।

## डिटी कलेक्टर सुधाकर सिंह को गुट्ट एसडीएम का प्रभार

रीवा, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने गुट्ट अनुभाग के एसडीएम का प्रभार डिटी कलेक्टर सुधाकर सिंह बघेल को देने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार गुट्ट के एसडीएम डॉ. अनुराग तिवारी अब केवल हुजूर अनुभाग के एसडीएम रहेंगे। वे गुट्ट के प्रभार से मुक्त हो गए हैं।

## सीईओ ने किया जिला पंचायत का निरीक्षण

रीवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भेंद्राब सिंह गुर्जर ने जिला पंचायत रीवा के विभिन्न कक्षा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय परिसर सहित सभी कक्षा में नियमित साफ-सफाई किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया की अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से नियमित साफाई रखने तथा फाइलों को व्यवस्थित किये जाने की व्यवस्था कराएँ। उन्होंने पुरानी आलमरियों एवं कुर्सियों को सुधार कराने के लिए निर्देश दिये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि जो अतिरिक्त फाइलें हैं उन्हें व्यवस्थित बांधकर स्टोर में रखा जाय। उन्होंने स्टोर प्रभारी व संबंधित प्रभारी अधिकारियों को आगामी दो दिवस में दिये गये निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने की बात कही।



## स्वास्थ्य शिविर में हुई जांच

रीवा, रीवा के स्थानीय कन्या घोघर स्कूल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आयोजित किया गया। इस आयोजन में लगभग 1500 लोगों ने पहुंच कर स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में सीएमएचओ रीवा संजय शुक्ला और संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा ने दवा उपलब्ध कराया। पैथोलॉजी की जांच करावाई। शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक एचपी सिंह, डॉ. ज्योति सिंह, डॉ. वी.डी. त्रिपाठी, डॉ. एस के त्रिपाठी, इमरान मसूरी, डॉ. बुजेश सिंह, डॉ. ए.के. मिश्रा, डॉ. फराह सिद्दीकी, डॉ. यासमीन, डॉ. सोनल अग्रवाल, डॉ. कविता, डॉ. मिनी सिंह, अनिल सिंह बघेल, डॉ. लव कुश तिवारी, डॉ. आशय द्विवेदी, डॉ. विकास, डॉ. सैयद मोहम्मद अरशाद, असागर हुसैन निजामी, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, सुफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल रशीद, सविह जाकिर हुसैन, यामीन खान, मुजीबउद्दीन सिद्दीकी, अलीमउद्दीन सिद्दीकी, शादाब सिद्दीकी, एड. मंजूर मसूरी, अब्दुल वाजिद, रियाज खान, रहीम खान, एड. सोहराब, शमीम सोदागर, जावेद खान आदि मौजूद रहे।

## प्रदेश स्थापना दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाएं

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, प्रदेश स्थापना दिवस आगामी एक नवम्बर को मनाया जाएगा।

इस संबंध में कलेक्टर ने कहा है कि एक नवम्बर को जिले भर में पूरे उल्लास के साथ प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह कलेक्टर परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों,

गणमान्य नागरिकों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजनों की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम स्थल पर जिले की उपलब्धियों और उत्कृष्ट कार्यों तथा स्वसहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। सभी शासकीय भवनों में एक नवम्बर को रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।

## विद्यार्थियों को स्पीड पोस्ट पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट

नवभारत न्यूज  
रीवा, 27 अक्टूबर, डाक विभाग स्पीड पोस्ट पर विद्यार्थियों को 10 फीसदी की छूट देगा। इसके लिए स्टूडेंट को स्पीड पोस्ट करने के दौरान अपना आईडी प्रस्तुत करना होगा और लिफाफे पर विद्यार्थी डाक लिखना होगा।

इस आधार पर यह छूट मिलेगी। रीवा डाक संभाग के

अधीक्षक आर.के. तिवारी ने बताया कि डाक विभाग एक नवम्बर से प्रीमियम सेवा स्पीड पोस्ट लागू करने जा रहा है। इस सेवा में विद्यार्थियों को विभाग स्पीड पोस्ट करने पर 10 फीसदी छूट देगा।

छात्रों और युवाओं द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार या निजी शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र तथा राज्य सरकार की भर्ती एजेंसियों

को भेजे जाने वाले आवेदन और अन्य पत्र-व्यवहार के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं का उपयोग करने पर यह छूट दी जाएगी। विभाग स्पीड पोस्ट का शुल्क वजन और दूरी के आधार पर तय करता है। स्पीड पोस्ट का 50 ग्राम से लेकर 500 ग्राम वजन तक का अलग-अलग शुल्क है। इस शुल्क पर विद्यार्थियों को 10 फीसदी छूट मिलेगी। अधीक्षक ने बताया कि

स्पीड पोस्ट डाक पर प्रेषक के रूप में विद्यार्थी का नाम लिखा होना जरूरी है। साथ ही प्रेषक का नाम और छात्र आईडी पर दिया गया नाम एक होना चाहिए। प्राप्तकर्ता कोई मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या भर्ती एजेंसियों (जैसे यूपीएससी, राज्य पीएससी, राज्य अधीनस्थ बोर्ड, एनटीए या अन्य समकक्ष भर्ती एजेंसियां) होना जरूरी है।